[illegible]

16.10.25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व सरकार पेशकार उप०। वकील प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर चाहा गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी एवं आदेश दिनांक 27.10.25 को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व सरकार पेशकार उप०। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्ध होता है कि बनवारी लाल पिता शौकीलाल एवं बनवारी लाल पिता अमरलाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली कैलाश कुमार रीडर नंबर 03 [illegible] नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

No. objection
[illegible]
पेशकार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 43 / 23
उनवान :— बनवारीलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	43 / 23
दायर दिनाँक :—	18.01.2023
निर्णय दिनाँक:—	27.10.2025

उनवान :— बनवारीलाल
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाशचन्द वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी बनवारी लाल पिता अमरलाल जाति मेहर निवासी जावर तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम जावर पटवार मण्डल जावर तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 305(पुराना 486) की कुल किता 11 की 4.6379 हेक्टेयर शामलाती आराजी के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "बनवारी लाल पिता श्री लाल " दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम " बनवारी लाल पिता अमरलाल " है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम जावर की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम "बनवारी लाल पिता श्री लाल " के स्थान पर " बनवारी लाल पिता अमरलाल " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 43/23
उनवान :– बनवारीलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि बनवारी लाल पिता अमरलाल ही बनवारी लाल पिता श्रीलाल है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा बनवारी लाल पिता अमरलाल को गलत तरीके से जमाबंदी में बनवारी लाल पिता श्रीलाल दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना